डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

आरक्षण–नियम

विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर वर्टिकल आरक्षण निम्नवत रहेगा :–

1. अनुसूचित जाति से सम्बन्धित अभ्यार्थी – 21ः
2. अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित अभ्यार्थी – 02ः
3. अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित अभ्यार्थी – 27ः

विभिन्न श्रेणी के अभ्यार्थियों के लिए हॉरिजेंटल आरक्षण की व्यवस्था निम्नवत् रखी जायेगी :–

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए – 02ः
2. युद्ध अथवा आतंकी हमले के शहीद/अपंग सैनिकों के पुत्र/पुत्री के लिए– 02ः
3. दिव्यांगजन अभ्यार्थियों के लिए – 03ः
4. महिला अभ्यार्थियों के लिए – 20ः

उपर्युक्त हॉरिजेंटल आरक्षण के अधीन आने वाले अभ्यार्थियों से यह भी अपेक्षा है कि वे अपनी आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ–साथ यदि पिछडा वर्ग अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हैं तो इससे संबंधित विवरण पुस्तिका में निर्धारित प्रमाण पत्र भी अवष्य भरें। उपर्युक्त हॉरिजेंटल आरक्षण (कंपार्टमेंटलाइज्ड) होगा। उर्पयुक्त प्रत्येक श्रेणी में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यार्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित श्रेणियों में से उस श्रेणी में रखा जाएगा जिससे वे संबंधित हैं। उदाहरणार्थ, यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है, तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में ही समायोजित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि विकलांगजन अभ्यर्थियों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। विकलांगजन अभ्यार्थियों की विकलांगता इस सीमा तक नहीं होगी कि चिकित्सा शिक्षा में बाधक हो। इसी प्रकार, यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों/युद्ध अथवा आतंकी हमले में अपंग/शहीद सैनिक के पुत्र/पुत्री/विकलांग/महिला अभ्यर्थी इन उपश्रेणी की अनारक्षित (ओपेन मेरिट) की है, तो उसे अनारक्षित (ओपेन मेरिट) में ही रखा जाएगा। जो अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों में आवेदन करेंगे, वे उसी उपश्रेणी में आरक्षित सीट के विरूद्ध समायोजित किए जाऐंगे।

उपर्युक्त आरक्षित श्रेणियों की सीटों के संबंध में निम्नलिखित बातों का अनुपालन किया जाएगाः–

(क) अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी पूरी संख्या में उपलब्ध न होने पर इन आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ख) प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी के अपने आवेदन पत्रों में निर्धारित स्थान पर सुसंगत श्रेणी तथा उपश्रेणी स्पष्ट रूप से इंगित करनी होगी। किसी अस्पष्टता अथवा प्रमाण पत्रों के निर्धारित प्रारूप में न होने की स्थिति में उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा तथा किसी भी दषा में किसी अवसर पर परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(ग) विभिन्न श्रेणियों की सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थन करने वाले जितने भी अभ्यर्थी सामान्य सीटों के अभ्यर्थियों के समकक्ष मेरिट में स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो उन सभी को सामान्य सीटों के समक्ष प्रवेशित माना जाएगा, चाहे उनकी संख्या उनके लिए आरक्षित सीटों से अधिक ही क्यों न हो। किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 3ग(V) के प्रावधान लागू होंगे। अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों के समकक्ष मेरिट के आधार पर प्रवेश पायेंगे उन्हें उपर्युक्त आरक्षित सीटों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर अपनी जाति तथा क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के अंर्तगत आरक्षण के लाभ के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा।

(ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आश्रितों के, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के, वास्तविक आश्रित और युद्ध अथवा आतंकी हमले में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिकों के अभ्यर्थी होने के संबंध में अपेक्षित प्रमाण पत्र का वह प्रारूप मान्य होगा जो शासन द्वारा निर्धारित है। समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रवेश के समय संबंधित विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

टिप्पणी :– यदि दी गयी सूचियों में वर्णित जातियों के अतिरिक्त कोई अन्य जाति भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है परन्तु इन सूचियों में उल्लिखित नहीं है तो उसे भी आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण नियम एवं अधिभार :–

सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों जिनमें ऐसे पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं जिनमें प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अनुमन्य किये जायेंगे। आरक्षण नियम निम्नानुसार रहेंगे :–

1. प्रवेश में आरक्षण के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियम ज्यों कि त्यों सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी लागू रहेंगे।
2. प्रवेश समिति द्वारा प्रतिपादित 'प्रवेश नियमावली 2017–18' में विभिन्न श्रेणियों (आरक्षित श्रेणी के अतिरिक्त) के अभ्यर्थियों को प्रदत्त अधिभार (Weightage) जो **अधिकतम 17 अंकों का है**, प्रदान किया जायेगा।